

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर

(राज भवन के पास सिविल लाईन, रायपुर)

(फोन नं०-0771-2424148)

क्रमांक-पुअ/एसीबी/रीडर/

/2015, रायपुर दिनांक- / /2015

प्रति,

खाद्य विश्लेषक,

राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला,

कालीबाड़ी रायपुर (छ०ग०)

विषय:-

एन्टी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक 09/2015 धारा 13(1) डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 एवं 120 बी, 109 भा०द०वि० के प्रकरण में जप्त शुदा अमृत नमक का परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत।

-00-

दिनांक 12.02.2015 को एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य के विभिन्न गोदामों में संग्रहित अमृत नमक के पैकेट जप्त किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1/ दिनांक 17.02.2015 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन बालोद के गोदाम से अमृत नमक के 05 पैकेट।

2/ दिनांक 18.02.2015 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन डोंगरगढ़ के गोदाम से अमृत नमक के 05 पैकेट।

उपरोक्तानुसार अमृत नमक के सैम्पल पैकेट जप्त कर मौके पर सीलबंद किये गये। उक्त नमक के पैकेट आपकी ओर परीक्षण हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया निम्न प्रोफार्मानुसार जप्त शुदा नमक का परीक्षण कर रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य जो साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उससे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र	वजन	बैच नं०	पैकिंग दिनांक	निर्माता कंपनी	आयोडीन का मात्रा	पॉलिथिन ग्रेड	रंग	दिया गया परिशिष्ट (पैकेट नं०)

पुलिस अधीक्षक

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

छ०ग० रायपुर

क्रमांक-पुअ/एसीबी/रीडर/1485-A/2015,

रायपुर

दिनांक-21/2/2015

प्रतिलिपी :- श्री संजय देवस्थले, निरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण अनुसंधान ब्यूरो, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपी :- स्टेट नोडल ऑफ आफिसर, स्वास्थ्य संचालनालय रायपुर छ०ग०

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
छ०ग० रायपुर